संख्या 1 उरजा) के विरूद्ध पूर्व में की गई एकपक्षीय कार्यवाही से पूर्व दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था परन्तु प्रतिवादी द्वारा वाद की कार्यवाही के प्रति गंभीरता का अभाव, उदासीनता दर्शित करने से न ही प्रतिवादी संख्या 1 उरजा आगामी पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये व न हीं न ही उनके द्वारा कोई वकील नियुक्त किया हो। अतः हस्तगत प्रार्थना-पत्र में प्रार्थीगण द्वारा कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी राजस्व वाद संख्या 242/2018 अनवान ओगड बनाम उरजा वगैरा के संबंध में प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 निमय 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय धारा 05 म्याद अधिनियम भली-भांति साबित न होने व सारहीन होने से खारिज किया जाना विधिसंगत व उचित रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 9 निमय 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण, जिला-ब्यावर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण, जिला-ब्यावर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)